रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1976/ज्येष्ठ 12, 1898

No. 105] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1976/JYAISTHA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd June 1976

SUBJECT.—*Supply of copper by MMTC against release orders issued for the period 1975-76 or earlier periods.*

No. 42-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the provisions contained in para 90 of Section 1 of the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for the period 1976-77, in terms of which all industries other than those engaged in the manufacture of winding wires are to approach M/s. Hindustan Copper Limited for their requirements of copper for the period 1976-77.

2. On a review of the position, it has been decided that in the case of release orders for copper issued for the period 1975-76 or earlier, such release orders issued for the end-products other than winding wires and remaining unutilised/unserviced shall be deemed to have been transferred to M/s. Hindustan Copper Limited. In the case of release orders having more than one item including copper, the transfer would apply only to that portion of the release order pertaining to copper.

3. It is also clarified that in the case of release orders for copper which are transferred to M/s. Hindustan Copper Limited, in terms of the provisions of this public notice, any unit requiring copper for the manufacture of winding wires for captive use, the actual users concerned should make afresh application to M.M.T.C. in accordance with the import policy for the period April, 1976—March, 1977.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 जून, 1976

विषय.—1975–76 अवधि या इससे पहले की अवधियों के लिए जारी किए गए रिहाई आदेशों के प्रति खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे का संभरण ।

सं० 42 आई० टी० सी० (पी एन)/76.—1976–77 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा०-I) के खंड-1 के पैरा 90 में निहित शर्तों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनके अनुसार लपेटन तारों के विनिर्माण में लगे हुए उद्योगों से भिन्न सभी उद्योगों को 1976–77 अवधि के लिए तांबे की अपनी आवश्यकताओं के लिए सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि० से सम्पर्क करना है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 1975–76 अवधि के लिये या इससे पहले की अवधियों के लिए तांबे के लिए जारी किए गए रिहाई आदेशों के मामले में लपेटन तारों से भिन्न अन्तिम उत्पादों के लिए जारी किए गए और बिना उपयोग किए गए/सेवा में न लिए गए ऐसे शेष रिहाई आदेश सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि० को हस्तान्तरित किए गए समझे जाएंगे । जिस मामले में रिहाई आदेशों में तांबे सहित एक मद से अधिक मदें शामिल होंगी उसमें हस्तांतरण रिहाई आदेश के केवल तांबे से संबंधित भाग के लिए लागू होगा ।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तांबे के लिए जो रिहाई आदेश प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि० को हस्तान्तरित किए गए हैं उनके मामले में यदि किसी एकक को बंधुआ उपयोग के लिए लपेटन तारों के विनिर्माण के लिए तांबे की आवश्यकता होगी तो सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ताओं को अप्रैल, 1976—मार्च 1977 अवधि की आयात नीति के अनुसार नए सिरे से आवेदन पत्र खनिज तथा धातु व्यापार निगम को देने चाहिए ।

SUBJECT.—*Allotment of zinc to actual users by MMTC—Import Policy for the licensing period April, 1976—March, 1977.*

No. 43-ITC(PN)/76.—Attention is invited to para 90(i)(2) of Section I of the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for the period April, 1976—March 1977, as amended *vide* Ministry of Commerce Public Notice No. 39-ITC(PN)/76, dated the 20th May, 1976, in terms f which all actual users other than manufacturers of dry battery and the users of special high grade zinc are to approach M.M.T.C. for allotment of zinc upto 50 per cent of the value of release orders issued for the period April, 1975—March, 1976 or April, 1974—March, 1975. These instructions continue to be operative.

2. On a further review of the position, it is noticed that the supply of zinc by the indigenous manufacturers has not been adequate. In order to meet this temporary short term situation, it has been decided that such actual users, who did not obtain any release order from the licensing authorities for zinc either for the licensing period 1974-75 or for 1975-76. and had obtained supplies of zinc from the indigenous manufacturers during the aforesaid licensing periods, should submit applications for zinc direct to the M.M.T.C. in the prescribed form, as given in Appendix 72 of the current Import Trade Control Policy Book (Red Book—Volume I). While applying for allotment of zinc in terms of this Public

Notice, the actual users should clearly indicate the actual quantity of zinc purchased and received by them from the indigenous producers during the year 1974-75 or 1975-76, as the case may be, along with necessary verifiable documentary evidence about the actual delivery of zinc to them in the relevant year from the indigenous sources. As indicated earlier, M.M.T.C. will entertain such applications and will make small allocations to meet the immediate requirements of the actual users to tide over this temporary problem. It is expected that thereafter the actual users will obtain their future requirements from the indigenous producers directly as povided in the original policy.

3. Applications for supply of zinc, in terms of para 2 above, should be made to the M.M.T.C.. on or before 15th July, 1976.

4. The import policy for zinc for the period April, 1976—March, 1977 may be deemed to have been amended to the extent indicated above.

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय .—खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को जस्ते का आवंटन : लाइसेंस अवधि अप्रैल 1976—मार्च 1977 के लिए आयात नीति ।

सं० 43-आई० टी० सी० (पी एन)/76.—अप्रैल 1976—मार्च 1977 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा०-1) के खंड-1 के यथासंशोधित परा 90(i)(2) की ओर ध्यान दिलाया जाता है **वखिये** वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 39-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 20 मई, 1976, जिसके अनुसार सूखी बैटरी के विनिर्माताओं और विशेष उच्च श्रेणी के जस्ते के उपयोक्ताओं से भिन्न सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को अप्रैल 1975—मार्च 1976 या अप्रैल 1974-मार्च 1975 अवधि के लिए जारी किए गए रिहाई आदेशों के मूल्य के 50 प्रतिशत तक के मूल्य के जस्ते के आवंटन के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम से सम्पर्क करना है । ये अनुदेश लागू रहना जारी रहेंगे ।

2. स्थिति की आगे पुनरीक्षा करने पर यह मालूम हुआ है कि जस्ते का संभरण देसी विनिर्माताओं द्वारा पर्याप्त नहीं रहा है । इस अस्थायी अल्पकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए यह निश्चय किया गया है कि जिन वास्तविक उपयोक्ताओं ने लाइसेंस अवधि 1974—75 या 1975—76 के लिए जस्ते के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से कोई भी रिहाई आदेश प्राप्त नहीं किया और पूर्वोक्त लाइसेंस अवधियों के दौरान जस्ते का संभरण देसी विनिर्माताओं से प्राप्त किया था, उन्हें जस्ते के लिए आवेदन पत्र वर्तमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा०-1) के परिशिष्ट 72 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में सीधे ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम को प्रस्तुत करना चाहिए । इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जस्ते के आवंटन के लिए आवेदन करते समय वास्तविक उपयोक्ताओं को 1974-75 या 1975-76 जो भी हो, के दौरान देशी उत्पादकों से स्वयं खरीदे गए और प्राप्त किए गए जस्ते की वास्तविक मात्रा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करनी चाहिए और इसके साथ संबंधित वर्ष में देशी साधनों से उन को जस्ते की वास्तविक प्राप्ति के विषय में सत्यापन करने योग्य आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए । जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस अस्थायी समस्या को निपटाने के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्प आवंटन करेगा । यह आशा की जाती है कि उसके पश्चात् वास्तविक उपयोक्ता अपनी भविष्य की आवश्यकताएं मूल नीति में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीधे ही देसी उत्पादकों से पूरी कर लेंगे ।

3. उपर्युक्त पैरा 2 की शर्तों के अनुसार जस्ते के संभरण के लिए आवेदन पत्र 15 जुलाई, 1976 को या इससे पहले खनिज तथा धातु व्यापार निगम को प्रस्तुत करने चाहिए ।

4. अप्रैल 1976–मार्च 1977 अवधि के लिए जस्ते के लिए आयात नीति ऊपर निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित की गई समझी जाए ।

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976